

**वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति
प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा)**

(भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/F.No. 11-9/1998-FC दिनांक 03.08.2009)

इस योजना हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/F.No. 11-9/1998-FC दिनांक 03.08.2009 के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्ताव संलग्न है।



(अमन कुमार सिंह)

महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)

रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड

रायपुर छत्तीसगढ़

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा (छ.ग.)

क्र./3490 / भू.अ./स.अ.भू.अ./2016

कोरबा दिनांक 24/11/2016

मेसर्स रिलायंस जिओ इंफोकॉम को ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के कार्य हेतु कोरबा जिला में कोरबा वनमंडल के डुमरडीह, रजगामार, कोरकोमा, गेरांव, बताती, डेंगुरडीह गांव के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु 0.471 हेक्टेयर वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 वन पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि 0.471 हेक्टेयर एवं राजस्व वन भूमि 0.177 हेक्टेयर (कुल भूमि 0.648 हेक्टेयर) जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम डुमरडीह, रजगामार, कोरकोमा, गेरांव, बताती, डेंगुरडीह तहसील कोरबा में स्थित है, में तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है।

सहायक महानिरीक्षक वन भारत सरकार का पत्र क्र./11-9/98 - एफ सी.(पी.टी.) वन एवं पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली दिनांक 05.02.2013 के द्वारा जहाँ विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) एवं कृषि पूर्व समुदायों के मान्यता अधिकार शामिल न हों वहाँ सड़क निर्माण, नहरों, पाईप लाईन, ऑप्टिकल फाइबर, बिछाव एवं संचरण लाईनों जैसी परियोजनाओं का गमन(रेखिक व्यपवर्तन) के लिए ग्राम सभा की सहमति की आवश्यकता से छूट दी गई है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रस्ताव दिनांक 10.11.2016 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह(पी.टी.जी) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार " अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम,2006" की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन के दिनांक 10.11.2016 के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम,2006" की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

दिनांक

(पी.दयानन्द)
कलेक्टर
कोरबा (छत्तीसगढ़)
एव

अध्यक्ष-जिला वन अधिकार समिति

जिला कोरबा

पृ.क्र./3491 / भू.अ./स.अ.भू.अ./2016

कोरबा दिनांक 24/11/2016

प्रतिलिपि:- 1. सचिव, छ0ग0 शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन,

नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

2. वन मण्डलाधिकारी कोरबा की ओर सूचनार्थ।

3. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोरबा की ओर सूचनार्थ।

4. महाप्रबंधक, रिलायंस जिओ इंफोकॉम रायपुर की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर

कोरबा (छत्तीसगढ़)
कलेक्टर
कोरबा (छत्तीसगढ़)